अनुदान संख्या 40 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40–INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*37,09,00*	*39,77,00*	*37,07,18*	*–2,69,82*
पूरक	*Supplementary*	*2,68,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,58,61*
स्वीकत-	Voted–		1202,79,00	1175,26,58	–27,52,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				27,75,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक्त-	Voted–		7,50,00	4,85,60	–2,64,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,35,10

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*269.82 लाख रु.*) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए *268.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकत *विनियोग* का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.269.82 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.268.00 lakhs* obtained in March, 2007 and constituted 7 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*3709.00*	*3818.39*	*3707.18*	*–111.21*
पू.	*S.*	*268.00*			
पु.	*R.*	*–158.61*			

(I) *"भारत के नियंत्राक एवं महालेखापरीक्षक - मुख्यालय कार्यालय''* के अंतर्गत *3247.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *268.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *3515.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, हवाई यात्राा के लिए रियायत प्राप्त करने, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के मुद्रण से संबंधित बिल प्राप्त न होने तथा आईडीएफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित होने के कारण *315.96 लाख* रु. (पूरक *विनियोग* सहित) की बचत हुई।

(I) Under "*Comptroller and Auditor General of India -Headquarters Office"* - the original *appropriation* of *Rs.3247.00 lakhs* was augmented to *Rs.3515.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.268.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.315.96 lakhs* (including supplementary *appropriation*) - due to concession obtained for air travel, non-receipt of bill for printing Audit Report and postponement of training program of IDF.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकत अंश में, अभ्यर्पित राशि (2775.00 लाख रु.) 2752.42 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.2775.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.2752.42 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	120279.00	117504.00	117526.58	+22.58
पु.	R.	–2775.00			

(I) "सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय'' के अंतर्गत 1302.36 लाख रु. की बचत (55810.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) वेतन, बोनस पर कम व्यय किए जाने, लेखापरीक्षा दलों द्वारा कम दौरे किए जाने और हवाई यात्राा पर रियायत प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Civil Audit Offices" - saving of Rs.1302.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55810.00 lakhs) was due to less expenditure on salaries, bonus, less tour of Audit parties and concessions obtained on air travel.

(II) "सिविल लेखा कार्यालय'' के अंतर्गत 1730.62 लाख रु. की बचत (46232.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा रांची और भुवनेश्वर स्थित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के वित्तीय नियंत्राण को अपने अधिकार में लेने, नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रूप न दिए जाने तथा लघु निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Civil Accounts Offices" –saving of Rs.1730.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46232.00 lakhs) was due to taking over financial control of Central Government Health Scheme units at Ranchi and Bhubneswar by Directorate General of Health Services, non-finalisation of tax assessment by Municipal authorities, non-finalisation of proposals of minor works.

(III) ''रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय'' के अंतर्गत 273.03 लाख रु. की बचत (2611.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) वेतन पर कम व्यय किए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Defence Audit Offices" - saving of Rs.273.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2611.00 lakhs) was due to less expenditure on salaries and non-finalisation of tenders by Central Public Works Department.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) ''रेल लेखापरीक्षा कार्यालय''- 319.38 लाख रु. का अधिक व्यय (5947.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) दैनिक मजदूरी की दरों में वद्धि होने, चिकित्सा मामलों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना से मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भेजे जाने, अधिक दौरा कार्यक्रम आयोजित किए जाने, विद्युत और जल प्रभारों में वद्धि होने, माड्यूलर फर्नीचर खरीदे जाने, कंप्यूटरों, फोटोकापियर मशीनों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा दिए जाने, परामर्शी शुल्कों और परीक्षकों एवं निरीक्षकों को पारिश्रमिक की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Railway Audit Offices" - excess of Rs.319.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5947.00 lakhs) was due to increase in daily wage rates, references of medical cases to Central Government Health Scheme recognised hospitals, under taking of more tour programmes, increase in electricity and water charges, purchase of modular furniture, annual maintenance contract of computers, photocopier machines, payment of consultancy fees and remuneration to examiners and invigilators.

(II) ''वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय''- 119.55 लाख रु. का अधिक व्यय (4505.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) वेतन पर अधिक व्यय होने, अधिकारियों के अधिक दौरा कार्यक्रम आयोजित किए जाने तथा कुछ महालेखाकार कार्यालयों के कार्यालय भवनों का नवीकरण किए जाने के कारण हुआ।

(II) "Commercial Audit Offices" - excess of Rs.119.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4505.00 lakhs) was due to more expenditure on salaries, more tour programmes of the officers and renovation of office buildings in some Accountant General's offices.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	350.00	187.59	137.59	–50.00
पु.	R.	–162.41			

(I) "सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीम - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 212.41 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) कोझीकोड, केरल में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.99 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

(I) Under "Government Residential Buildings - Housing Scheme for employees of IA & AD - Acquisition of ready built flats" - saving of Rs.212.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to non-materialisation of construction of staff quarters at Kozhikode, Kerala.

(II) Under one head saving of Rs.51.99 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.